न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 18 / 2020 **RCMS 2020/00034**

वादी

1. हाथीराम पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरियाजून तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 14.10.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि हरियाजून तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 65, 97 कुल रकबा 38 बीघा जिसके नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 296 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 389 रकबा 5.39 हैक्टर कुल रकबा 6.19 हैक्टर कायम हुये है, वादी का सजरा खानदान निम्नवत है :—

लादूराम (फौत)

↓

मांगूराम उर्फ मांगीलाल (नाऔलाद फौत) — हाथीराम (पुत्र)

उपरोक्त भूमि स्व. लादूराम पुत्र भैरू कौम गुर्जर साकिन देह खातेदार के नाम से खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, उनके [illegible] हो जाने पर जरिये उत्तराधिकारी नामान्तरकरण सं. 136 के [illegible] हाथीराम पुत्रान लादूराम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई, इसी अनुसार खातेदारी दर्ज चली आई है, उपरोक्त भूमि में हाथीराम एवं मांगूम के 1/2– 1/2 हिस्से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, मांगीलाल अविवाहित ही दिनॉक 12.01.2020 को फौत हो चुका है, मांगीलाल के उत्तराधिकारी एक मात्र वासि सगा भाई वादी है एवं कोई बहने नही है, वादी के पिता का नाम भी लाभूराम रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

लादूराम है, उपरोक्त भूमि में मांगीलाल पुत्र लादूराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्ती कर एवं मांगूराम के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें, पटवारी हल्का को इस बात की तस्दीक करने को कहा तो उन्होने मना कर दिया तथा न्यायालय आदेश से ही सही होने की जानकारी दी। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम हरियाजून के खसरा नम्बर 296 रकबा 0.80 हैक्टर खसरा नम्बर 389 रकबा 5.39 हैक्टर कुल रकबा 6.19 हैक्टर में मांगूराम पुत्र लाभूराम हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. देह खातेदार के स्थान पर हाथीराम पुत्र लादूराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे एवं वादी के पिता का गलत दर्ज नाम लाभूराम के स्थान पर सही प्रविष्टि लादूराम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावें तथा अन्य अनुतोष जो भी वादी के हक में प्रदान फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये तलब किया गया, प्रतिवादी अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2076–2079 की प्रति,पास बुक की छाया प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020–2023, 2024–2027, 2028–2031, 2032–2035, 2035–2038 प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी हाथीराम के स्वयं का शपथ–पत्र, गवाह रामदेवाराम पुत्र गीगाराम गुर्जर नि. हरियाजनू का शपथ–पत्र, गवाह मंगलाराम पुत्र रामूराम गुर्जर नि. हरियाजनू का शपथ–पत्र, गवाह भभूताराम पुत्र रूपाराम गुर्जर नि. हरियाजनू का शपथ–पत्र, गवाह फूलाराम पुत्र मांगूराम गुर्जर नि. हरियाजून का शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

प्रकरण में वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, वकील वादी ने बहस दौरान वाद में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त भूमि में मांगीलाल के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने तथा पिता का नाम लाभूराम के स्थान पर लादूराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात बहस शपथ–पत्र रेकार्ड की नकलो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी नकल सम्वत 2020–2023 ग्राम हरियाजून के खसरा नम्बर 65 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय + खसरा नम्बर 97 रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय + कुल रकबा 38 बीघा [illegible] बिस्वा में लादू पुत्र भैरू कोम गुजर सा. देह दर्ज है, उक्त प्रविष्टि सम्वत 2024–2027, 2028–2031, 2032–2035 में दर्ज है तथा सम्वत 2035–2038 में [illegible] मांगीलाल हाथी पि. लादूराम किया गया अंकन है। प्रस्तुत पास बुक की छाया प्रति अनुसार लादू फौत होने से उसके जायन्दो लड़को के नाम मांगीलाल हाथी पि. लादूराम के नाम दर्ज किया जाना अंकित है, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 ग्राम हरियाजून के खसरा नम्बर 296 389 कुल रकबा 6.19 हैक्टर में मांगूराम पुत्र लाभूराम हिस्सा–1/2 जाति गुजर सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested

देह खातेदार हाथीराम प लाभूराम–1/2 जाति गुजर सा. देह खातेदार प्रविष्टि अंकित है। प्रस्तुत शपथ--पत्र हाथीराम द्वारा जिसमें इस बात का कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि में मांगीलाल के स्थान पर वादी अकेला ही वारिस है तथा अन्य कोई भाई बहन नही है तथा उक्त भूमि पर वही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, इसलिए मांगीलाल के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा वादी के पिता का दर्ज गलत नाम लाभूराम के स्थान पर सही नाम लादूराम दर्ज किया जावे, गवाह रामदेवाराम पश्चिमी तरफ सींवा जोड़ पाड़ौसी ने भी कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का अकेला वारिस वादी हाथीराम ही है तथा लाभूराम का सही नाम लादूराम ही है तथा वादी का भाई मांगीलाल उर्फ मांगूराम अविवाहित फौत हो चुका है जिसके कोई ओर वारिस नही होकर केवल वादी हाथीराम पुत्र लादूराम ही वारिस है इस प्रकार अन्य गवाहो ने अपने शपथ–पत्र में कथन अंकित किये है। उपलब्ध रेकर्ड अनुसार एवं प्रस्तुत शपथ–पत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में मांगीलाल उर्फ मांगूराम पुत्र लादूराम के अविवाहित फौत होने पर वादी हाथीराम पुत्र लादूराम गुर्जर सा. हरियाजून तहसील कुचामनसिटी ही एकमात्र वारिस है। जिसकी पुष्टि गवाहो के शपथ पत्र एवं उपलब्ध रेकार्ड से साबित होती है। साथ ही वादी के पिता का नाम लाभूराम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है जो दुरूस्ती योग्य है। इस प्रकार वाद वादी काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम हरियाजून तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 0.80 हैक्टर खसरा नम्बर 389 रकबा 5.39 हैक्टर कुल रकबा 6.19 हैक्टर में मांगूराम पुत्र लाभूराम हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. देह खातेदार का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसके स्थान पर हाथीराम पुत्र लादूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 14.10.2021 को इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 18/2020 **RCMS 2020/00034**

वादी

1. हाथीराम पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरियाजून तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1- राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम हरियाजून तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 0.80 हैक्टर खसरा नम्बर 389 रकबा 5.39 हैक्टर कुल रकबा 6.19 हैक्टर में मांगूराम पुत्र लाभूराम हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. देह खातेदार का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसके स्थान पर हाथीराम पुत्र लादूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत..........................
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			[illegible] अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]किल		
महन्ताना वकिल			[illegible]		
खर्चा गवाहन			फि[illegible]		
फिस कमिश्नर			[illegible]य हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुत[illegible]		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।